**संख्या-141 /2020/1416/20-27-सिं0-4-170(डब्ल्यू)परि0/2016**

**प्रेषक,**

**मुश्ताक़ अहमद,**
**विशेष सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

**सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4** **लखनऊ: दिनांक: 20 जुलाई, 2020**

**विषय: जनपद संतकबीरनगर में घाघरा नदी के बायें तट पर निर्मित रामपुर मकदूमपुर एवं मदरहा बेहराडाण्डी तटबंध के टॉप पर पक्की सड़क निर्माण की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-171/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 22-06-2020 एवं विषयांकित परियोजना की शासनादेश संख्या-**153**/2019/3382/19-27-सिं0-4-170(डब्ल्यू)परि0/2016**,** दिनांक 16 अगस्त, 2019 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुमान में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक-4700-36-051-11-1108-24 के अन्तर्गत उक्त परियोजना हेतु प्राविधानित बजट की धनराशि रू0 982.36 लाख के सापेक्ष रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख) परियोजना के अवशेष कार्यों पर व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

3. उक्त परियोजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के '**अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक-4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-36-गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना (वाणिज्यिक)-051-निर्माण-11-शाखाये-1108-लाइनिंग-24-वृहत् निर्माण कार्य**' के नामे डाला जाएगा।

4. उक्त धनराशि परियोजना के कार्यो पर द्वितीय त्रैमास (माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर) में व्यय करने हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 07**.04.2020** एवं दिनांक 28.05.2020 के अनुसार साख सीमा प्रदान की जाती है।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-03-2020 में निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

6. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के अशा0 पत्र संख्या-ई-8-1431/दस-2020, दिनांक 17 जुलाई**, 2020** में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

**भवदीय,**

**मुश्ताक़ अहमद**
**विशेष सचिव।**

**क्रमशः -2**

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>**संख्या-141/2020/1416(1)/20-27-सिं0-4 तद्दिनांक**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

3- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।

8- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8

10- नियोजन अनुभाग-3

11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

12- गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**

**वी0एन0 तिवारी**
**अनु सचिव।**

http://shasanadesh.up.gov.in